न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी:– साँवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 66/2010 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2010/00020)

टीकम पुत्र श्री गोकुल जाति धाकड निवासी नगला खुश्यालीराम तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

मंदिर श्री नरसिंह जी महाराज विराजमान नगला खुश्यालीराम तहसील बयाना जिला भरतपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत वीरमपुरा।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 31.12.2009 व दाखिल खारिज संख्या 118 दिनांक 22.3.2010 ग्राम नगला खुश्यालीराम तहसील बयाना जिला भरतपुर।

उपस्थिति:–

1. श्री राजेश कुमार सोगरवाल वकील अपीलान्ट।
2. श्री दुलीचंद शर्मा वकील रैस्पोडेन्ट।

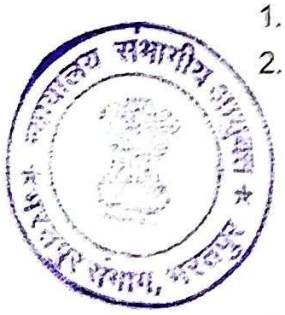

निर्णय

दिनांक:– 04.07.2022

यह अपील अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 31.12.2009 तहसीलदार बयाना के खिलाफ पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रकरण में मूर्ति मंदिर नरसिंह महाराज की ओर से नामान्तरकरण संख्या 145 ग्राम नगर खुश्यालीराम को ग्राम पंचायत वीरमपुरा द्वारा गलत अस्वीकार करने के कारण अपील एसडीओ बयाना की अदालत में सरपंच ग्राम पचांयत वीरमपुरा के निर्णय दिनांक 29.7.1986 के विरूद्ध पेश की गई थी जो एसडीओ बयाना द्वारा प्रकरण संख्या 48/87 व उनवानी नृसिंह महाराज विराजमान नगर खुश्यालीराम बनाम ग्राम पंचायत वीरमपुरा के विरूद्ध की गई तथा दिनांक 16.11.1987 को अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 145 आज्ञा सरपंच ग्राम पंचायत 29.7.1986 अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार बयाना को रिमाण्ड किया गया। जिस पर तहसीलदार बयाना द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2009 इस आशय का पारित किया गया कि आ0ख0नं0 349/01.02, 368/02.09 नामान्तरकरण संख्या 145 निर्णय बहक मंदिर श्री नरसिंह महाराज विराजमान नगला

खुश्यालीराम तहसील बयाना स्वीकार किया जाता है पटवारी हल्का वीरमपुरा को लिखा जावे कि प्रति पटवार लेकर हाजिर हो तथा खसरा नम्बर 349/01.02, 368/02.09 वाके ग्राम नगला खुश्यालीराम के जो भी बन्दोवस्ती नम्बर बने हो का नामान्तरकरण नियमानुसार बहक मूर्ति मंदिर श्री नरसिंह महाराज विराजमान ग्राम नगला खुश्यालीराम तहसील बयाना के बाबत नवीन नामान्तरकरण हस्व कायदा पुराने नम्बरों के जो नवीन बन्दोवस्ती नम्बर बने हो का भरा जाकर तस्दीक कराया जावे। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई । तहत पत्रावली तलब की गई एवं रैस्पोडेन्ट जरिये सम्मन तलब किये गये। रैस्पोडेन्ट की ओर से श्री दुलीचन्द शर्मा, एडवोकेट उपस्थित हुए। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि योग्य अदालत ने आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनने का कोई अवसर अथवा नोटिस नहीं दिया जबकि न्यायालय उपखण्डाधिकारी द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश में स्पष्ट रूप से अदालत तहत को यह निर्देशित किया था कि वह उभयपक्षकारान को सुनकर व साक्ष्य लेकर पुनः निर्णय पारित करें। इस आदेश के बाद अदालत तहत अपीलान्ट को दिनांक 4.12.2009 को उपस्थित होने हेतु नोटिस तामीली भेजा गया इस तामीली नोटिस पर तामील कुनिन्दा ने स्पष्ट रूप से यह रिपोर्ट अंकित की कि टीकम घर पर नहीं मिला वाहर गया हुआ बतलाया गया । अदालत तहत ने इस तामील को प्रोपर तामील मानते हुये एकतरफा में आदेश जेर अपील पारित कर दिया है जो विधि संगत नहीं है। इस नोटिस पर तामील अपीलान्ट के भतीजा पिन्टू पर कराई गई बतलाई वो भी विधि अनुकूल नहीं है क्यों कि भतीजा परिवार की परिभाषा में नहीं आता है तथा पिन्टू नावालिग है जिसकी उम्र करीब 10–11 वर्ष की है इस प्रकार अदालत तहत में विधि विरूद्ध अपीलान्ट के एकतरफा कार्यवाही करते हुये आदेश जेर अपील पारित कर दिया है जो काबिल निरस्तनीय है। यह कि योग्य अदालत तहत ने पत्रावली पर उपलब्ध आदेश जेर अपील पारित कर दी है क्यों कि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जो यह सावित करती हो कि विवादित आराजी रैस्पोडेन्ट के नाम कभी भी रही हो फिर भी अदालत तहत ने आदेश जेर अपील पारित करते हुये अपीलान्ट के नाम को कलमजन करते हुये रैस्पोडेन्ट के नाम दर्ज करने का आदेश जेरे अपील पारित कर दिया है जो कतई गलत है। यह कि अदालत तहत ने आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर भी गौर नहीं फरमाया कि विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार रेवती, नत्थो, केहरी, राजेन्द्र पिसरान रामसिंह थे जिन्होने बीस हजार रूपये में अपीलान्ट को दिनांक 16.7.96 को जरिये पंजीकृत बयनामा हस्तान्तरित कर मौके पर कब्जा व दखल अपीलान्ट को समलवा दिया तभी से अपीलान्ट क्रयशुदा आराजी पर वहैसियत खातेदार काबिज होता चला आ रहा है। इस आराजी में रैस्पोडेन्ट का ना तो कोई हित निहित है और ना ही आज तक कब्जा रहा है फिर भी अदालत तहत ने आदेश जेर अपील पारित कर दिया है जो विधि संगत ना होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह कि योग्य

अदालत तहत ने आदेश जेर अपील पारित दिनांक 31.12.2009 के आधार पर दाखिल खारिज संख्या 118 भी एकतरफा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में स्वीकार कर लिया है जो कतई गलत एवं नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत है। इस आदेश की अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट को इसकी जानकारी दिनांक 21.7.2010 को सरपंच के द्वारा विवादित आराजी पर कब्जे की धमकी दिये जाने पर हुई। इस पर अपीलान्ट दिनांक 22.7.2010 को तहत न्यायालय गया और नकल आवेदन किया दिनांक 27.7.2010 को नकल प्राप्त हुई। तदोपरान्त बिना देरी अपील पेश की गई है। जिसके लिये पृथक से दफा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। वकील अपीलाण्ट ने यह भी तर्क दिया कि विवादित खसरा नंबर 381 रकबा 18 ऐयर व 401 रकबा 40 ऐयर साबिक ख0नं0 349 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 388 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा से बने हैं जो कि अपीलाण्ट की खातेदारी में दर्ज थे। उक्त भूमि अपीलाण्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खातेदार से क्रय की गयी थी तभी से काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। उक्त भूमि से रैस्पोडेन्ट का कभी कोई वास्ता नही रहा है। मूर्ति मन्दिर कहीं बालिग नही होता है। अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित भूमि के सम्बन्ध में कोई दावा आदि भी नही किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, बयाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–11–1987 के सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा लगभग 22 वर्ष पश्चात् राजस्व कैम्प में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि उक्त भूमि अपीलाण्ट की कयशुदा भूमि है। इस तथ्य को नजरअंदाज कर तहसीलदार बयाना द्वारा रैस्पोडेन्ट के नाम गलत रूप से नामान्तकरण खोलने का आदेश पारित किया है जो कि विधि विरूद्व व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत तहसीलदार बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 31.12.2009 व इस आदेश के आधार पर खोले गये दाखिल खारिज संख्या 118 तारीखी 22.3.2010 निरस्त फरमाया जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक द्वारा तहत अदालत तहसीलदार बयाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2009 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि सन्वत् 1994 की जमाबंदी में यह उल्लेख है कि उक्त भूमि मंदिर माफी की होने के कारण लगान माफ है तथा कन्हैयालाल इसके पुजारी थे जिनके द्वारा मंदिर की सेवा पूजा की जा रही थी। पुजारी कन्हैया की मृत्यु के पश्चात् नामान्तरण संख्या 145 रैस्पोन्डेन्ट के नाम खोला गया जिसमें कन्हैया के बिना औरत फोत होने व उक्त भूमि, मंदिर नरसिंह जी महाराज की होने के कारण नरसिंह जी महाराज के नाम दर्ज किया था जिसकी जाँच भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 16.06.1986 को की गई जिसमें जमाबन्दी से मिलान किये जाने व अंकन सही होने का नोट अंकित किया गया है। इसके बावजुद ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण खारिज किया गया है। इसके विरूद्ध अपील पेश किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा पारित निर्णय 16.11.1987 के

ारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया था जिसमें तहसीलदार द्वारा जॉच के पश्चात ही अपीलाधीन नामान्तरकरण नियमानुसार स्वीकृत किया गया है। वकील रैस्पोन्डेन्ट ने आरआरडी 1987 पेज 307 पर उद्धरित निर्णय का हवाला देते हुए तर्क दिया कि उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मंदिर की जमीन यदि पुजारी के नाम है तो मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज की जावेगी। उक्त प्रकरण में संवत् 1994 की जमाबंदी के अनुसार उक्त भूमि मंदिर माफी की है यदि अपीलान्ट को कोई आपत्ति है तो इसके लिए सक्षम न्यायालय में नियमित वाद करने हेतु स्वतन्त्र है परन्तु नामान्तरण को खारिज करवाकर कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते, क्योकि नामान्तरण सम्बन्धी प्रक्रिया एक फिस्कल कार्यवाही है जिसके माध्यम से हक हकूक तय नहीं होते। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जावे।

रिव्युटल में पुनः वकील अपीलाण्ट ने तर्क दिया कि राज्य में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 संवत 2012 से प्रभाव में आया है तभी से विवादित भूमि खातेदारी में चली आ रही है। उक्त भूमि का क्रय अपीलान्ट द्वारा विधिवत रूप से किया गया है तथा अदालत मातहत ने भी अपीलान्ट को सुनवाई का तथा साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया वरन राजस्व कैम्प में उक्त कार्यवाही की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.12.2009 निरस्त किया जावे तथा इसके आधार पर खोला गया नामान्तकरण संख्या 118 दिनांक 22.03.2010 खारिज किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने तथा मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन करने के पश्चात सर्वप्रथम मीमों ऑफ अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पर विचार किया गया। मियाद सम्बन्धी बिन्दु पर आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि:–

"Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

इसी प्रकार आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–

"Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling The appeal"

अतः उपरोक्त नजीरों में प्रतिपादित सिद्धांतों से सादर सहमत होते हुए अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। क्योंकि अपीलान्ट की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होने के

बारे में वर्णित दिनांक के बारे में कोई प्रतिवाद रैस्पोडेन्ट द्वारा नहीं किया गया है तथा न ही काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता या अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अपीलान्ट के उपस्थित नहीं होने के कारण नामान्तकरण संख्या 145 के गुणावगुण पर विचार करते हुए उल्लेख किया है कि पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण खोले जाने व भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा जॉच में सही पाये जाने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण खारिज कर दिया गया जबकि उक्त भूमि मंदिर मूर्ति की होने का उल्लेख पटवारी द्वारा किया गया था। अपीलाधीन निर्णय में यह मानते हुए कि विवादित भूमि मंदिर मूर्ति की है, नामान्तकरण संख्या 145 जिसे ग्राम पंचायत द्वारा आदेश दिनांक 29.07.1986 के द्वारा निरस्त किया गया है, को उपखण्ड अधिकारी बयाना द्वारा निरस्त किये जाने के कारण खसरा नम्बर 349/1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 368/2 बीघा 9 बिस्वा मंदिर श्री नरसिंह जी महाराज नगला खुश्यालीराम के नाम स्वीकार किये जाने का आदेश देते हुए उक्त नामान्तकरण व बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाये गये हाल खसरा नम्बर का नामान्तकरण नियमानुसार मूर्ति मंदिर श्री नरसिंह जी महाराज के नाम खोल जाने का उल्लेख किया गया है। जो कि उचित प्रतीत होता है क्योकि नामान्तकरण संख्या 145 के कॉलम संख्या 14 में पटवारी हल्का द्वारा उक्त नामान्तकरण तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 14.05.1986 की पालना में खोला गया है जिसकी जॉच भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 16.05.1986 को कर अंकन सही होना माना है। इस आधार पर विवादित भूमि मंदिर श्री नरसिंह जी महाराज साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया है। जहॉ तक विवादित भूमि को अपीलान्ट द्वारा क्रय किये जाने के कारण अधिकार उत्पन्न होने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में अपीलान्टस सक्षम न्यायालय में हक हकूक का वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र है क्योकि नामान्तकरण सम्बन्धी कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसीडिंग है जिसके माध्यम से हक हकूक तय नहीं किये जा सकते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.12.2009 तथा इसके आधार पर खोले गये नामान्तकरण संख्या 118 दिनांक 22.03.2010 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर राजस्थान भरतपुर